

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर।

सेवामे,

प्रबन्धक,

एम० आर० डी० पब्लिक स्कूल सेंवठा सिंगेरा मरदह, गाजीपुर।

पत्रांक / 9098-9105/ जूहा०स्कूलमान्यता/2009-2010

दिनांक-29-03-2010

विषय:-

अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या: 646/15-6-97-18एस(7)/89 दिनांक 13-8-1998 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय अस्थायी मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को पूर्व माध्यमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) की अस्थायी मान्यता आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है।

अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि विद्यालय द्वारा स्थायी मान्यता की शर्तें पूरी करने पर उसकी मान्यता स्थायी मान्यता के रूप में परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है। उक्त शासनादेश के प्राविधानों के अन्तर्गत विद्यालय में निम्नांकित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद भी अनुमन्य किये जाते हैं-

प्रधानाध्यापक - एक पद

सहायक अध्यापक - चार पद (एक पद विज्ञान तथा एक पद भाषा)

लिपिक - एक पद

चतुर्थ श्रेणी - एक पद

शासकीय/विभागीय आदेशों/निर्देशों उल्लंघन करने पर तथा मान्यता संबंधी दी गई कोई सूचना असत्य पाये जाने पर विद्यालय को प्रदत्त मान्यता वापस ले ली जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीया

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर।

पृ०सं० / /2009-10 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
- 2- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) वाराणसी मण्डल वाराणसी।
- 3- वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा गाजीपुर।
- 4- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर।
- 5- जिला समाज /अल्पसंख्यक/विकलांग कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गाजीपुर।
- 6- परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गाजीपुर।
- 7- संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर।
- 8- कार्यालय प्रति।

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर।